

बिहार सरकार  
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

!! अधिसूचना !!

संख्या-3/सी.एस./एम.-501/2010.....<sup>378</sup>/पटना-15, दिनांक-.....<sup>08</sup> अगस्त, 2018

भारत के संविधान के अनुच्छेद 164(1) में निहित प्रावधान के अन्तर्गत श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा दिनांक 08.08.2018 के प्रभाव से राज्य के मंत्री नहीं रहीं।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-3/सी.एस./एम.-501/2010.....<sup>378</sup>/पटना-15, दिनांक-.....<sup>08</sup> अगस्त, 2018  
प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, पटना/राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/सभी मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव/सरकार के सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-3/सी.एस./एम.-501/2010.....<sup>378</sup>/पटना-15, दिनांक-.....<sup>08</sup> अगस्त, 2018  
प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, विकास भवन, विश्वेश्वरैया भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-3/सी.एस./एम.-501/2010.....<sup>378</sup>/पटना-15, दिनांक-.....<sup>08</sup> अगस्त, 2018  
प्रतिलिपि - अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।



(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।